दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

प्रधान कार्यालय: ए-25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002

<u>बैगेज बीमा पालिसी</u>

जबकि यहां अनुसूची में वर्णित व्यक्ति (जिसे इसके पश्चात बीमाकृत व्यक्ति कहा गया है) ने प्रस्ताव और घोषणा द्रारा जो इस संविदा का आधार होगा और जिसे इसके समाविष्ट किया गया है एतद्पश्चात् विहित बीमा के लिए दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (जिसे इसके पश्चात् **''कंपनी''** कहा गया है) के नाम आवेदन प्रस्तुत किया है और कथित अनुसूची में विहित अवधि के दौरान और ऐसी आगामी अवधि के दौरान जिसके लिए कंपनी इस पॉलिसी के नवीकरण अथवा विस्तार के लिए प्रीमियम स्वीकार करें, ऐसे बीमा के प्रतिफल के रुप में कथित अनुसूची में अंकित प्रीमियम का भुगतान कर लिया है।

यहां विहित पृष्ठांकित अथवा यहां अभिव्यक्त शर्तों, प्रतिबंधों और अपवर्जनों के अध्यधीन कंपनी एतदद्रारा स्वीकार करती है कि बीमाकृत व्यक्ति अथवा उसके पारिवारिक सदस्य (सदस्यों) के साथ वाले व्यक्तिगत सामान को किसी भी समय अग्नि, उपद्रव और हडताल, आतंकवादी गतिविधि चोरी या दुर्घटना से हुई हानि, विनाश या क्षति के प्रति उनके अन्तर्निहित मूल्य की सीमा तक उसकी (बीमाकृत व्यक्ति) क्षतिपूर्ति की जाएगी जबकि बीमाकृत व्यक्ति दौरे पर अथवा छुटिट्यों में इस बीमा अवधि के दौरान यात्रा कर रहा हो और यह क्षतिपूर्ति यहां अनुसूची में विहित सीमाओं के अंदर होगी। सदैव इस उपबंध के साथ कि कम्पनी का दायित्व किसी भी प्रकरण में प्रत्येक मद अथवा एतदद्रार बीमाकृत समय राशि से अधिक नहीं होगा।

अपवर्जन:

1) नैत्यिक यात्रा के दौरान घटित कोई हानि या क्षति।

2) किसी सफाई, डाइंग (रंगाई) या ब्लीचिंग् सुधार, मरम्मत या नवीनीकरण की प्रक्रिया द्रारा घटित हानि अथवा सामान्य टूट-फूट, कीडे-मकोडों, पीडक जंतु (वर्मिन) पतंगों या फफूंदे या किसी अन्य क्रमिक प्रचालन के कारण खराबी।

3) क्राकरी, ग्लास (कांच), कैमरा दूरबीन, लेंस, मूर्ति, क्यूरियो, चित्र, संगीत वाद्य यंत्र स्पोर्टसय, गियर और भंजक (टूटने वाली) वस्तुओं की टूट-फूट उन पर दरार या

खरौंच पडना जब तक कि यह परिवहन साधन पर हुई अग्नि या दुर्घटना से घटित न हो।

4) यांत्रिक या विद्युतीय बिगाड/टूटफूट से किसी वस्तु की हांनि या क्षति जब तक कि यह दुर्घटनात्मक बाह्रय कारणों से उत्पन्न हो।

5) घडियों और क्लाक (बडी घडियों) पर अधिक चाबी भरने और उन पर खरोंच पडने अथवा उनकी आन्तरिक क्षति।

6) धन प्रतिभूति, पांडुलिपि, प्रलेख, बांड, विनियम पत्र, प्रोनोट, स्टॉक या शेयर प्रमाणपत्र, स्टैम्प और यात्रा टिकट अथवा यात्री चेक, कारोबार बहियां अथवा दस्तावेजों की हांनि या क्षति।

7) तरल, तेल या इस प्रकृति की अन्य सामग्री अथवा खतरनाक या क्षतिकारक प्रकृति की वस्तुओं के रिसने, छलकने या टपकने से हांनि, विनाश यहा क्षति।

8) किसी कार में चोरी, केवल उस कार से हुई चोरी को छोडकर जो पूर्णत: आच्छादित ''सलून'' प्रकार की हो और चोरी के समय जिसके सभी द्रार, खिडकियां और अन्य खुले हुए भाग सुरक्षापूर्वक तालाबंद हों और उपर्युक्त ढंग से बंद किये गये हों।

9) यात्रा आरंभ करते समय जो सामान बैगेज के हिस्से के रुप में न हो, जब तक कि उसे विशिष्ट रुप से घोषित न किया गया हो और कंपनी द्वारा स्वीकार न किया गया हो।

10) उपभोग्य और शीघ्र खराब होने वाली प्रकृति की वस्तुओं की हानि उनका विनाश या उनकी क्षति।

11) छडी, छतरी, झांप (सन शेड) फैन, डैक कुर्सी, खुली हुई वस्तुएं, समुद्री यात्रा में प्रयुक्त सम्पत्ति अथवा वस्तुएं जबकि उन्हें शरीर पर पहना जा रहा हो अथवा साथ में ले जाया जा रहा हो।

12) युद्ध, युद्ध सद्दय गतिविधियां और विदेशी का प्रकट युद्ध (चाहे युद्ध घोषित हो अथवा नहीं, गृह युद्ध बगावत, राजद्रोह, सेना या अन्य द्रारा शासन हथियाना, गिरफ्तारी, प्रतिबंध और किसी सरकार या अन्य प्रधिकरण द्रारा रोक के कारण हानि या क्षति चाहे वह इनसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से उद्भुत हो, किसी कार्रवाई वाद या अन्य प्रक्रिया में जहां कम्पनी यह अधिरोपित करे कि उपर्युक्त प्रावधानों के आधार पर कोई हानि या क्षति इस बीमा द्रारा आवरित नहीं है यह सिद्ध करने का दायित्व बीमाकृत व्यक्ति पर होगा कि ऐसे हानि या क्षति आवरित है।

13) सीमा शुल्क या अन्य प्राधिकरण द्वारा किये गये विलम्ब रोक या जब्ती से उत्पन्न हांनि या क्षति।

14) (क) किसी भी प्रकार की सम्पत्ति की हांनि विनाश या क्षति अथवा उससे उत्पन्न किसी भी प्रकार का व्यय अथवा किसी भी प्रकृति की कोई परिणामी हांनि और कोई भी विधिक दायित्व जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से आयनीकृत विकिरण अथवा किसी भी स्रोत से उत्पन्न रेडियोधर्मिता के प्रदूषण से उत्पन्न हो।

(ख) कोई दुर्घटना, हांनि, विनाश, क्षति या विधिक दायित्व जो न्यूक्लीय शस्त्र सामग्री से प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से उत्पन्न हो उस पर आधारित हो अथवा उससे पैदा हो।

15) किसी भी प्रकार की परिणामी हांनि या विधिक दायित्व।

16) बीमाकृत व्यक्ति द्वारा किये गये या किये जानेवाले किसी कार्य पर आश्रित या उसके कारण जिससे एतद् बीमाकृत जोखिम में अनावश्यक रुप से वृद्धि हो।

शर्तें

विशेष

1) **जोडी या सेट में वस्तुएं:** यदि यहां बीमाकृत कोई वस्तु जोडी या सेट में हो तो उनके सम्बन्ध में कम्पनी का दायित्व ऐसी वस्तुओं का ऐसी जोडी या सेट वस्तुओं का ऐसी जोडी या सेट में उनके विशेष मूल्य पर ध्यान न देते हुए इस हिस्से विशेष के मूल्य से अधिक नहीं होगा जो गुम या क्षतिग्रस्त हो गयी का दायित्व जोडी या सेट के बीमा मूल्य के आनुपातिक अंश से अधिक होगा।

2) **एकल वस्तु सीमा:** जब तक कि विशिष्ट रुप से और पृथक रुप में वर्णित न हो प्रत्येक वसतु या वस्तुओं की जोडी के प्रति कंपनी का दायित्व इस पॉलिसी के अंतर्गत कुल बीमा मूल्य की 5% राशि से अधिक नहीं होगा।

सामान्य:

1. **सूचना (नोटिस):** इस पालिसी द्वारा अपेक्षित कम्पनी को भेजे जाने वाला प्रत्येक नोटिस और संदेश लिखित रुप में कंपनी के उस कार्यालय को भेजा जाएगा जिसके जरिए बीमा प्रभावी किया गया हो।

2. **प्रकटीकरण का कर्तव्य**: किसी महत्वपूर्ण तथ्य के मिथ्या कथन् गलत विवरण अथवा गैर-प्रकटीकरण की स्थिति में यह पालिसी अमान्य हो जाएगी और उस पर प्रदत्त सभी प्रीमियम कम्पनी के पक्ष में जब्त हो जाएंगे।

3. **यथोचित सावधानी**: दुर्घटना, हानि या क्षति के प्रति बीमाकृत सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए बीमाकृत व्यक्ति सभी यथोचित कदम उठायेगा।

4. **दावा प्रक्रिया**: कोई घटना होने पर जिससे इस पालिसी के अन्तर्गत दावा हो या दावा उत्पन्न होने की आशंका हो -

(क) बीमाकृत व्यक्ति द्वारा इसकी लिखित सूचना तुरन्त नजदीकी कार्यालय पर देनी होगी जिसकी प्रतिलिपि कंपनी के पालिसी जारीकर्ता कार्यालय के तथा साथ ही तुरन्त पुलिस में शिकायत दर्ज करनी होगी, बीमाकृत व्यक्ति द्वारा उस रेलवे, स्टीमशिप कंपनी, एअरलाइन, होटल मालिक अथवा किसी प्राधिकारी को भी सूचित किया जाएगा जिसकी अभिरक्षा में किसी हानि या क्षति घटित होते समय बैगेज रहा हो।

(ख) जिस तिथि को घटना की जानकारी बीमाकृत व्यक्ति को प्राप्त हो उसके 14 दिन के अन्दर बीमाकृत व्यक्ति द्वारा हानि या क्षति का लिखित विस्तृत विवरण कंपनी के पास प्रस्तुत किया जाएगा जिसके साथ गुम हुई सम्पत्ति का अन्तर्निहित मूल्य और क्षति की राशि का आकलन हो।

बीमाकृत व्यक्ति द्वारा यहां दावे के संबंध में कम्पनी को सभी यथोचित जानकारी, सहायता और प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे और यदि अपेक्षित हो तो समर्थन में वचन पत्र या सांविधिक घोषणा प्रस्तुत की जाएगी।

5. **क्षतिपूर्ति:** हानि या क्षति की राशि का भुगतान करने के बजाए कंपनी गुम या क्षतिग्रस्त (जैसा भी प्रमाण हो) सम्पत्ति का पुन:स्थापन कर सकती है। उसकी मरम्मत अथवा प्रतिस्थापन कर सकती है। इस पॉलिसी के अन्तर्गत हानि के प्रति किसी दावे का भुगतान करने पर वह सम्पत्ति के सम्पत्ति के संबंध मे भुगतान किया गया है, कंपनी में आ जाएगी।

6. **औसत:** यदि हानि या क्षति होते समय एतदद्वारा बीमाकृत सम्पत्ति का सामूहिक मूल्य से अधिक हो तो शेष राशि के लिए बीमाकृत व्यक्ति स्वय का बीमाकर्ता माना जाएगा और उसके द्वारा तदनुसार हानि या क्षति का आनुपातिक अंश वहन किया जाएगा। यदि

पॉलिसी के अन्तर्गत एक से अधिक प्रत्येक मद प्रथक रुप से इस औसत शर्त के अध्यधीन होगा।

7. **अंशदान:** यदि इस पालिसी द्वारा आवरित हांनि या क्षति के घटित होते समय उसी हानि या क्षति को आवरित करने वाला किसी भी प्रकृति का कोई अन्य बीमा विद्यमान हो जिसे चाहे बीमाकृत व्यक्ति द्वारा लिया गया हो अथवा नहीं- तो कंपनी किसी हांनि या क्षति के लिए अपनी आनुपातिक राशि से अधिक के भुगतान के लिए दायी नहीं होगी।

8. **प्रस्थापन:** बीमाकृत व्यक्ति या इस पॉलिसी के अन्तर्गत किसी दावेदार द्वारा कंपनी के खर्च पर वे सभी कार्य या चीजें की जाएंगी उन्हें करने में सहमति दी जाएगी या .उन्हें करने की अनुमति दी जाएगी जो आवश्यक हो या जिन्हें कम्पनी द्वारा किसी अधिकार या उपचार के लिए अथवा इस पॉलिसी के अन्तर्गत बीमाकृत के पक्षकारों से राहत या क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समझा जाए, जिनके प्रति कम्पनी इस पॉलिसी के अर्न्तगत हानि या क्षति के भुगतान के बाद प्रस्थापन के तहत हकदार होती चाहे ऐसे कार्य या चीजें कंपनी द्वारा बीमाकृत व्यक्ति की क्षतिपूर्ति किये जाने से पूर्व या उसके पश्चात आवश्यक या अपेक्षित समझे जाएं।

9. **धोखाधडी:** यदि इस पॉलिसी के अन्तर्गत कोई दावा किसी भी रुप में धोखाधडी पर आधारित हो अथवा यदि बीमाकृत व्यक्ति द्वारा या बीमाकृत व्यक्ति के एवज में कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस पालिसी के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कोई धोखाधडी पूर्ण प्रक्रिया या साधन इस्तेमाल किया गया हो तो पॉलिसी के.अन्तर्गत समस्त लाभ और अधिकार जब्त हो जाएंगे।

10. **निरसन:** बीमाकृत व्यक्ति को उसके अंतिम ज्ञात पते पर सात दिन का लिखित नोटिस दिये जाने पर कम्पनी किसी भी समय इस पॉलिसी को निरस्त कर सकती है, जिस प्रकरण में निरसन तिथि से शेष असमाप्त अवधि के लिए कम्पनी द्वारा बीमाकृत व्यक्ति को आनुपातिक प्रीमियम लौटाया जाएगा।

    बीमाकृत व्यक्ति द्वारा भी इस पॉलिसी के निरसन के लिए कंपनी को सात दिन का लिखित नोटिस दिया जा सकता है जिस प्रकरण में पॉलिसी जारी रहने की अवधि के लिए कंपनी द्वारा अल्प अवधि प्रीमियम दर पर प्रीमियम प्रतिधारित किया जाएगा।

11. **आर्बिट्रेशन (पंचनिर्णय) और अस्वीकरण:** यदि इस पॉलिसी के अन्तर्गत दावे की मात्रा के सम्बन्ध में कोई मतभेद हो (दायित्व अन्यथा स्वीकार किये जाने पर) तो.ऐसे मतभेदों को अन्य सभी प्रश्नों से स्वतंत्र रखते हुए निर्णय हेतु आर्बिट्रेशन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा जिसे मतभेद वाले पक्षकारों द्वारा लिखित रुप से नियुक्त किया जाएगा। यदि वे एक आर्बिट्रेटर पर सहमत न हों तो मामले को दो स्वतंत्र आर्बिट्रेटरों के सम्मुख

रखा जाएगा जिनमे प्रत्येक पक्षकार द्रारा लिखित रूप में एक आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की जाएगी। समय-समय पर संशोधित और तत्समय प्रभावी भारतीय आर्बिट्रेशन अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार एक पक्ष दूसरे पक्षकार को ऐसी नियुक्ति के संबध में लिखित रुप से दिये जाने के दो कलेंडर माह के अन्दर दूसरे पक्षकार द्रारा आर्किट्रेटर की नियुक्ति की जाएगी। यदि नोटिस मिलने के दो कलेंडर माह की अवधि के अंदर कोई पक्षकार आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के लिए इन्कार करता है अथवा ऐसी नियुक्ति करने में असफल रहता है तो दूसरे पक्षकार को एकमात्र आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का अधिकार होगा। यदि आर्बिट्रेटरों के मध्य असहमति हो तो ऐसे मतभेद को अंपायर के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा जिस अंपायर को उनके द्ारा लिखित रुप में नियुक्त किया जाएगा और जो उनके मध्य बैठकर बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

यह स्पष्ट: स्वीकार किया जाता है और समझा जाता है कि यदि कम्पनी ने दायित्व के विषय में कोई विवाद किया हो अथवा दायित्व स्वीकार नहीं किया हो तो किसी भी विवाद को उपर्युक्त रीति से पंचनिर्णय (आर्बिट्रेशन) के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

एतददारा यह स्पष्टत: निर्धारित और घोषित किया जाता है कि हानि या क्षति की राशि के सम्बन्ध में ऐसे आर्बिट्रेटरों या अंपायर का पंचाट प्राप्त किया जाना इस पालिसी के अन्तर्गत किसी कार्रवाई या वाद के अधिकार की पूर्वगामी शर्त होगी।

यह भी एतद्द्वारा पुन: स्पष्टत: स्वीकार और घोषित किया जाता है कि यदि कंपनी द्रारा बीमाकृत व्यक्ति के प्रति दायित्व अस्वीकार किया जाता है और ऐसे अस्वीकारण की तिथि से 12 कलेंडर माह के अन्दर ऐसा दावा किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता तो सभी प्रयोजनों के लिए दावे का परित्याग किया गया समझाा जाएगा और उसके पश्चात वह यहां वसूली योग्य नहीं होगा।

12. **शर्तों और प्रतिबंधों का अनुपालन** इस पालिसी की शर्तों, प्रतिबंधों और पृष्ठांकनों का विधिवत् अनुपालन और परिपूर्ण किया जाना जहां तक उनका संबंध व्यक्ति द्रारा किसी कार्य को किये जाने या अनुपालन किये जाने से हो, पालिसी के अनतर्गत भुगतान किये जाने की कंपनी के दायित्व की पूर्वगामी शर्त होगी।

13. **नवीकरण सूचना:** कंपनी न तो नवीकरण प्रीमियम स्वीकार करने और न ही इस निमित सूचना देने के लिए बाध्य है।

नोट: प्रीमियम चैक के अस्वीकृत होने पर पॉलिसी प्रारम्भ से स्वत: ही निरस्त हो जाएगी।

नोट :- अगर इस नीति के किसी भी शब्द या पैरा के कानूनी व्याख्या के बारे में कोई विवाद है तो अंग्रेजी संस्करण को सही और विधिमान्य होगा।